क्रम संख्या–81

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 140/XXXVI(3)/2013/18(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2013}

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42 वर्ष 1975 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में लोक आयुक्त के वेतन की दर से सम्बन्धित प्रविष्टियों में अन्त में आने वाले शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" रख दिये जायेगें।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 140/XXXVI(3)/2013/18(1)/2013
Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 23, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 28 March, 2013.

The Uttarkhand Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2013

[Uttarakhand Act No. 23 of 2013]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayutas Act, 1975 to the context of the State of Uttarakhand.

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Lokayukta and Up-Lokayutas (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Second Schedule to U.P. Act No. 42 of 1975

2. In the Second Schedule to the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayutas Act, 1975, in the entries relating to the rate of salary the lakayukta for the words "Chief Justice of the High Court or Judge of a High Court" appearing in the end the words "Chief Justice of a High Court" shall be substituted.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 विधायी / 241–2013–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।